न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–77 सन् 2014

बनारसी प्रसाद राय व अन्य.....................वादीगण।

बनाम

विनय कुमार सिंह...............प्रतिवादीग।

दिनांक–12.10.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी सं0 02 की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दिनांक 14.09. 2022 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी सं0 02 का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 06 सुभाष राय दिनांक 11.07.2022 को आवेदन में विर्णत अपने वारिसानों को स्वर्गवास कर गए। ऐसी परिस्थिति में समुचित न्याय हेतु प्रतिवादी सं0 06 सुभाष राय का नाम काट कर उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित वारिसानों का नाम जोड़ दिया जाए। अतः निवेदन है कि उक्त प्रतिस्थापना आवेदन को स्वीकार कर प्रतिवादी सं0 06 सुभाष राय का नाम कलमजद कर उनके जायज वारिसानों को प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाए।

उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी की ओर से दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 06 के रूप में सुभाष राय थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 11.07.2022 को आवेदन में लिखित वारिसानों को छोड़कर हो गई है। वादी सं0 02 द्वारा उक्त प्रतिस्थाना आवेदन प्रतिवादी सं0 06 सुभाष राय का नाम कलमजद करने तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु दाखिल किया गया है जो शपथ पत्र से समर्थित है और समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः वादी सं0 02 की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 14.09.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक..................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।